कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–२९५६ / 12-1 :देहरादूनः 13जून, 2025.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :– जनपद–देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 हे0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal NO- FP/UK/Others/43838/2020)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/69/2023/एफ0सी0/1262 दिनांक 04.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/69/2023/एफ0सी0/1262 दिनांक 04.02.2025 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के पत्रांक 2101/12–1 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रतिपूरक वनीकरण : (क). प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.33 है० अवनत वन भूमि मोटीधार, बीट, मोटीधार पर 330 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचें।	(क). वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 330 पौधों के रोपण एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 6,42,840.00 (छः लाख बयालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र की धनराशि जमा कर दी गयी है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा।
	(ख). प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(ख). वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। (संलग्नक–1)

2	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क). इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक– 30.10.2002, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt-2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006ए 5–3/2007–एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख). विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क). वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 1,76,463.00 (एक लाख छियत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है। (ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय की वचनबद्धता संलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। **(संलग्नक–ख–2)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 Saplings है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। **(संलग्न–क–3)**
4	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेंगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन पत्र उपलब्ध कराया गया है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक–क–4)**
5	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेशों की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–क–5)**
6	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–क–6)**
7	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–क–7)**
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पौधारोपण योजना एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 6,42,840.00 (छः लाख बयालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र एवं 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)

		₹ 1,76,463.00 (एक लाख छियत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये) मात्र तथा वन्यजीव प्रबन्धन योजना हेतु ₹ 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्रव मृदा एवं जल संरक्षण योजना हेतु ₹ 1,50,000.00 (एक लाख पचास रुपये), कुल ₹ 14,69,303.00 (चौदह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ तीन रुपये) मात्र की धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता संख्या 150891994383888 में RTGS UTR No- MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। परिवेश पोर्टल पर भुगतान संबंधी सूचना का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक–क–8)**
9	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी गयी है।
(ख). राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–II से अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।		
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक–ख–1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। **(संलग्नक–ख–2)**
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही उक्तानुसार मोटीधार बीट में 0.33 है० अवनत वन भूमि में 330 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों कर रखरखाव हेतु ₹ 6,42,840.00 धनराशि की योजना संलग्न है। **(संलग्नक–ख–3)**
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हों।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–4)**
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–5)**
6	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirement based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totalling to 2% (for WLMP) or	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन में ₹ 5.00 लाख धनराशि का Wildlife Management Plan (WLMP) एवं ₹ 1.50 लाख धनराशि का Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) योजना संलग्न है, जिसके अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि CAMPA Fund में

	0.5% (for SMCP) of the total project cost.	जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–ख–6)
7	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लिखित शर्त के पालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–1)
8	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौंधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। (संलग्नक–1)
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–ख–9)
10	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। (संलग्नक–ख–10)
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। (संलग्नक–ख–11)
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। (संलग्नक–ख–12)
13	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। (संलग्नक–ख–13)
14	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–ख–14)
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। (संलग्नक–ख–15)
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। (संलग्नक–ख–16)

17	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–17)**
18	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबें का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–18)**
19	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–19)**
20	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनयमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश(आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–20)**
21	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–ख–21)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2023 के अंतर्गत 0.165 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने के दृष्टिगत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :–२९५६ /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

87–राजपुर रोड, देहरादून, फोन / फैक्स–0135–2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक– 2101 / 12–1 देहरादून, दिनांक, 21 मई, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम,मसूरी को प्रत्यावर्तन (FP/UK/Others/43838/2020)**

संदर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र संख्या– 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 69 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक 04.02.2025 आपका पत्रांक– 2094 / 12–1,दिनांक– 19.02.2025**

महोदय,

विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र से निर्गत की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी,मसूरी वन प्रभाग,मसूरी द्वारा पत्रांक– 4154 / 12–1 दिनांक 06–05–2025 से मय अभिलेखों के इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। अनुपालन आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त अनुपालन आख्या मूल में मय संलग्नक संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून,
पंजी0 सं0 5374
पत्रावली 12-1
दिनांक 30-5-25

पत्रांक 2101 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी,मसूरी वन प्रभाग,मसूरी को उनके पत्रांक *4154 / 12–1 दिनांक 06–05–2025* के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभारी देहरादून
आ0 का0 केंद्र।

प्र0 व0सं0 / नो0
27-5-25

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 4154 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 06 / 05 / 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- **जनपद देहरादून में मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No.: FP/UK/OTHERS/43838/2020)**

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/09/69/2023/एफ०सी०, दिनांक-04/02/2025 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र संख्या-2094/12-1, दिनांक-19.02.2025।

महोदया,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृत निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पत्र संख्या-844/133/05, दिनांक-15.04.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। विषयांकित परियोजना में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या आपको संस्तुति सहित निम्नवत अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क-राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।		
क्र०सं०	**सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त**	**अनुपालन आख्या**
1.	**प्रतिपूरक वनीकरण** **क.** प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.33 है० अवनत वन भूमि मोटीधार, बीट, मोटीधार पर 330 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या क- 1 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 330 पौधों के रोपण एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 6,42,840.00 (छः लाख बयालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र की धनराशि जमा कर दी गयी है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति के उपरान्त प्रतिपूरक वनीकरण कर लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन नहीं किया जायेगा।
	ख. प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त संख्या क- 1 (ख) के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी० कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी० क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उपरोक्त शर्त संख्या -1 (क, ख) एवं शर्त संख्या-ख-7 व 8 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-1)**

96

2.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** क. इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक- 30.10.2002, 01.08.2023, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003ए 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006ए 5-3/2007-एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख. विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या क- 2 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 1,76,463.00 (एक लाख छियत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है। शर्त संख्या क- 2 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय की वचनबद्धतासंलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। **(संलग्नक- क- 2 ख)**
3.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 Saplings है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त सख्या क- 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। **(संलग्नक-क-3)**
4.	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेंगी।	शर्त सख्या क- 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन पत्र उपलब्ध कराया गया है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक-क-4)**
5.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेशों की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	शर्त संख्या क- 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-क-5)**
6.	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	शर्त संख्या क- 6 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-क-6)**
7.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या क- 7 के अनुपालन में एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक-क-7)**

8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	शर्त संख्या क- 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पौधारोपण योजना एवं उसके दस वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक ₹ 6,42,840.00 (छ: लाख बयालीस हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र एवं 0.165 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 1,76,463.00 (एक लाख छियत्तर हजार चार सौ तिरसठ रुपये) मात्र तथा वन्यजीव प्रबन्धन योजना हेतु ₹ 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्रव मृदा एवं जल संरक्षण योजना हेतु ₹ 1,50,000.00 (एक लाख पचास रुपये), कुल ₹ 14,69, 303.00 (चौदह लाख उनहत्तर हजार तीन सौ तीन रुपये) मात्र की धनराशि ई-पोर्टल (https:parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता संख्या 150891994383888 8 में RTGS UTR No. MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। परिवेश पोर्टल पर भुगतान संबंधी सूचना का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक-क-8)**
9.	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या क- 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।
ख- राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-II से अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।		
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त संख्या ख-1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-ख -1)**
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या ख-2 क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। **(संलग्नक- ख-2)**
3.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या **ख**-3 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही उक्तानुसार मोटीधार बीट में 0.33 है० अवनत वन भूमि में 330 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों कर रखरखाव हेतु ₹ 6,42,840.00 धनराशि की योजना संलग्न है। **(संलग्नक—ख-3)**
4.	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हों।	शर्त संख्या ख-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक- ख-4)**
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/ राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त , जहां लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त संख्या ख-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक- ख-5)**

6.	The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation / Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirement based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totalling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	शर्त संख्या ख-6 के अनुपालन में ₹ 5.00 लाख धनराशि का Wildlife Management Plan (WLMP) एवं ₹ 1.50 लाख धनराशि का Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) योजना संलग्न है, जिसके अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि CAMPA Fund में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक- ख-6)**
7.	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त संख्या ख-7 के क्रम में उल्लिखित शर्त के पालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-1)**
8.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौंधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त संख्या **ख-8** के क्रम अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। **(संलग्नक-1)**
9.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो, प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या ख-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-9)**
10.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या **ख-10** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। **(संलग्नक-ख-10)**
11.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या **ख-11** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।**(संलग्नक-ख-11)**
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या **ख-12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।**(संलग्नक-ख-12)**
13.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या **ख-12** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक—ख-13)**
14.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	शर्त संख्या ख-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-ख-14)**
15.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या ख-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।**(संलग्नक—ख-15)**

16.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या **ख-16** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।**(संलग्नक- ख-16)**
17.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या **ख-17** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-17)**
18.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबें का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या **ख-18** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-18)**
19.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या **ख-19** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-19)**
20.	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनयमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश(आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।	शर्त संख्या **ख-20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक—ख-20)**
21.	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।	शर्त संख्या **ख-21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-ख-21)**

अत: सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 4154/12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि : - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कुटुम्ब विहार, ग्रा.व पो. सिनौला, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला
देहरादून– 248003

Office of Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam Mussoorie
Kutumb Vihar, P.O. Sinaula
Dehradun -248003

Email:jalnigam.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक 844 / 133 /05 दिनांक 15/04/2025

मसूरी वन प्रभाग मसूरी
प्राप्ति संख्या. 8455
पत्रावली संख्या. 12-1
दिनांक. 17/04/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

विषय :– जनपद– मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाईड फॉरेस्ट भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/Others/43838/2020) !

संदर्भ :– सैद्धान्तिक स्वीकृति की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/09/69/2023/एफ0सी0, दिनांक 04.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना में सैद्धान्तिक स्वीकृति में विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है :–

क0सं0	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
01 (क)	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.33 है0 अवनत वन भूमि, मोटीधार, बीट मोटीधार पर 330 पौधों का रोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा निर्गत पत्र सं0 3209/12–1 मसूरी, दिनांक 11.03.2025 संलग्न है।
(ख)	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त संख्या–01 (ख) यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
02 (क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या : 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006, 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.165 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–02 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के तहत 0.165है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए परिवेश पोर्टल पर चालान जनरेट कर उसका भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बेंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता सं0 150891994383888 में रू0 14,69,303.00 का RTGS U.T.R. No MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा कर दिया गया है तथा भुगतान संबंधी सूचना को परिवेश पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है (पोर्टल पर सम्बन्धित पृष्ठ की स्क्रीन शॉट की छायाप्रति संलग्न है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–02 (ख) प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा की बचनबद्धता दी जाती है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
03	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की	शर्त संख्या–03 के अनुपालन में वन भूमि में पेडों

	कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 saplings है) से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमें 8 saplings है) से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत का वहन उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी द्वारा किया जायेगा **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
04	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	**शर्त संख्या–04** के अनुपालन में वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
05	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	**शर्त संख्या–05** यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
06	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–2 का अनुमोदन प्राप्त नही किया जाता है, तो राज्य वन विभाग का रोक देगा।	**शर्त संख्या–06** के अनुपालन में शाखा से सम्बन्धित नॉन लिनियर है।
07	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त संख्या–07** के अनुपालन में एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
08	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	**शर्त संख्या–08** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बेंगलुरू स्थित उत्तरांचल CAMPA Fund के खाता सं0 1508919943838888 में रू0 14,69,303.00 का RTGS U.T.R. No MAHBR52025040320173959 दिनांक 01.04.2025 द्वारा भुगतान कर दिया गया है तथा भुगतान संबंधी सूचना को परिवेश पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है (पोर्टल पर सम्बन्धित पृष्ठ की स्क्रीन शॉट की छायाप्रति संलग्न है।
09	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	**शर्त संख्या–09** के अनुपालन में, अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
10	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	**शर्त संख्या–10** के अनुपालन में, वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
11	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	**शर्त संख्या–11** निर्माण कार्य आरक्षित वन भूमि में किया जाना है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य निजी भूमि प्रभावित नही हो रही है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
12	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित	**शर्त संख्या–12** के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो

	मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा करा दिया जायेगा। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
13	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में, राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की टिप्पणियां प्राप्त करेगी, यदि लागू हो। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
14	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/राज्य वन्य जीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
15	The state Forest Department shall prepare wildlife mitigation/management plan (WLMP) or soil and moisture conservation plan (SMCP) at the cost of user agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.	शर्त संख्या–15 यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
16	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantion) में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त संख्या–16 यह बिन्दु वन विभाग से सम्बन्धित है।
17	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
19	वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में, वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
20	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में, वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।**
21	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	शर्त संख्या–21 के अनुपालन में, परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता

		अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
22	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में, वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
23	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	शर्त संख्या–23 के अनुपालन में, वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
24	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या–24 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
25	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	शर्त संख्या–25 के अनुपालन में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
26	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोाजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	शर्त संख्या–26 के अनुपालन में, बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
27	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त संख्या–27 के अनुपालन में, यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उसके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
28	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, यदि लागू हो।	शर्त संख्या–28 के अनुपालन में राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमो, विनियमों, दिशा निर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, यदि लागू हो। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।
29	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन	शर्त संख्या–29 के अनुपालन में किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं सवर्धन) अधिनियम,

	माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।	1980 का उल्लघंन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण राहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है)।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के सम्बन्ध में शाखास्तर की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आपके स्तर की अनुपालन आख्या इस आख्या के साथ सम्मिलित करते हुए विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(संजीव वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 /133/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 **बी/यू०सी०पी०**/09/69/2023/**एफ०सी०** **दिनांकः** As per e-sign

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (**वन**),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः- जनपद- मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राईवेट नोटिफाइट फारेस्ट भूमि का उत्तराखंड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन । (Online Proposal No. FP/UK/OTHERS/43838/2020).

सन्दर्भः- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 331/FP/UK/OTHERS/43838/2020 दिनांक 17-08-2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल / अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन **(**संरक्षण**)** अधिनियम, 1980 की धारा**-2** के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण **(**एफ.सी.ए.**)**, उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद**-** मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित **0.165** है0 प्राईवेट नोटिफाइट फारेस्ट भूमि का उत्तराखंड पेयजल निगम, मसूरी को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

(क.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने से पूर्व जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1- **प्रतिपूरक वनीकरणः**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 0.33 है0 अवनत वन भूमि, मोटीधार, बीट मोटीधार पर 330 पौधों का रोपण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

(ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0 एम 0 एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस 0 एम 0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल 0 एम 0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

2- **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.165** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

3- प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 9 वृक्षों (जिसमे 8 saplings है) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

4- वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।

5- गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

6- राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

7- एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

8- परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9- अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

(ख.) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के पश्चात क्षेत्र में शर्तों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

1- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

4- राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।

5- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / राज्य वन्यजीव बोर्ड / राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

6- The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.

7- **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

8- **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

9- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

10- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

11- वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

13- परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

14- संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

15- वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

16- केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

17- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

18- प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

19- यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

20- प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।

21- उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्रवाई की जाएगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

Signed by Neelima Shah
Date: 04-02-2025 12:16:57

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा

पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वन अधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली।